

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 84 : Conditions for purposes of appearance

- (1) No person shall be eligible to attend before any authority as a goods and services tax practitioner in connection with any proceedings under the Act on behalf of any registered or unregistered person unless he has been enrolled under rule 83.
 - (2) A goods and services tax practitioner attending on behalf of a registered or an un-registered person in any proceedings under the Act before any authority shall produce before such authority, if required, a copy of the authorisation given by such person in **FORM GST PCT-05**.
-

नियम 84 : हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शर्तें

- (1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जीएसटी व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो।
 - (2) किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला जीएसटी व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।
-